भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
विलंब मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 14/2019– सीमा शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2019

सा. का. नि. (अ). -सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सा. का. नि. संख्या 1064(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, विलंब मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 0. 82/2017–सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 में, एतहदारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, तालिका-2 में, क्रम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:---

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>क्षेत्र</th>
<th>अधिकारी का पदनाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;(7)</td>
<td>(i) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तालुका उर्मा और पनवेल में जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन और गोदाम हैं:</td>
<td>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (नहावा शेव-1), मुंबई, जोन-II</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उर्मा तालुका में करंजा टर्मिनल:</td>
<td>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (नहावा शेव-1), मुंबई, जोन-III</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे और</td>
<td>प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (नहावा शेव-1), मुंबई, जोन-III</td>
</tr>
</tbody>
</table>
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निवास कार्याँ, अथवा तलाशी/जब्ती आदि को पूरा किए जाने हेतु;

(iv) कॉन्टेनेट के जाल एंड एक्सक्लूवसि इकोनॉमिक जोन ऑफ इन्डिया. जो महाराष्ट्र राज्य में बेसलाइन का सामना कर रहा है. हेतु विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के तहत सीमा शल्क अधिनियम, 1962 को बढ़ाया गया है।

आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा - व), मुंबई, जोन-II।

आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- V), मुंबई, जोन-II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त. या सहायक आयुक्त।

आयुक्त, सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- सामाया), मुंबई, जोन-II के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सीमा शुल्क के अपर आयुक्त, या संयुक्त आयुक्त, या उपायुक्त, या सहायक आयुक्त।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 450/100/2017 - सीमा शुल्क-IV]

(प्रमुख मंत्री)

(पुलिस रियाज')

निदेशक (सीमा शुल्क)

दिशप्रणी: प्रधान अधिसूचना सं0. 82/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 24 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1064(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संख्या सा.का.नि.1236(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना सं0.100/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।